



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

155/6
19/3/97

सं० 112]
No. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1997/फाल्गुन 28, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997

सा. का. नि. 155 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1 क) कोई कंपनी, 1 मार्च, 1997 से ही किसी भी रूप में किन्हीं निक्षेपों को प्रतिगृहीत या नवीकृत नहीं करेगी यदि उसने ऐसे निक्षेप के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप या उसके भाग और उस पर किसी ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम किया है।”;

(ii) नियम 4 के उपनियम (2) के खंड (ट) के उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) यह कि कंपनी ने ऐसे निक्षेप के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप या उसके भाग और उस पर किसी ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है।”

[फा. सं. 1/2/97—सी. एल. -5]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मुख्य नियम सा. का. नि. 43 (अ) दिनांक 3-2-1975 के द्वारा छपे थे व संशोधित हुए :—

- (1) का. आ. 524 (ई) तारीख 18-9-1975
- (2) का. आ. 684 (ई) तारीख 29-11-1975
- (3) सा. का. नि. 427 (ई) तारीख 29-6-1976

- (4) सा. का. नि. 820 (ई) तारीख 24-9-1976
- (5) सा. का. नि. 965 (ई) तारीख 29-12-1976
- (6) सा. का. नि. 385 (ई) तारीख 17-6-1977
- (7) सा. का. नि. 386 (ई) तारीख 17-6-1977
- (8) सा. का. नि. 424 (ई) तारीख 27-6-1977
- (9) सा. का. नि. 793 (ई) तारीख 20-12-1977
- (10) सा. का. नि. 200 (ई) तारीख 30-3-1978
- (11) सा. का. नि. 252 (ई) तारीख 27-4-1978
- (12) सा. का. नि. 341 (ई) तारीख 29-6-1978
- (13) सा. का. नि. 378 (ई) तारीख 17-7-1978
- (14) सा. का. नि. 586 (ई) तारीख 21-12-1978
- (15) सा. का. नि. 109 (ई) तारीख 21-3-1980
- (16) सा. का. नि. 185 (ई) तारीख 1-4-1980
- (17) सा. का. नि. 380 (ई) तारीख 24-6-1980
- (18) सा. का. नि. 435 (ई) तारीख 18-7-1980
- (19) सा. का. नि. 546 (ई) तारीख 24-9-1980
- (20) सा. का. नि. 187 (ई) तारीख 20-3-1981
- (21) सा. का. नि. 44 (ई) तारीख 12-1-1982
- (22) सा. का. नि. 286 (ई) तारीख 19-3-1985
- (23) सा. का. नि. 372 (ई) तारीख 19-4-1985
- (24) सा. का. नि. 482 (ई) तारीख 5-6-1985
- (25) सा. का. नि. 7 (अ) तारीख 2-1-1986
- (26) सा. का. नि. 358 (अ) तारीख 1-4-1987
- (27) सा. का. नि. 620 (अ) तारीख 1-7-1987
- (28) सा. का. नि. 850 (अ) तारीख 12-10-1987
- (29) सा. का. नि. 551 (अ) तारीख 7-6-1990
- (30) सा. का. नि. 39 (अ) तारीख 10-1-1992
- (31) सा. का. नि. 814 (अ) तारीख 19-10-1992
- (32) सा. का. नि. 744 (अ) तारीख 10-12-1993
- (33) सा. का. नि. 767 (अ) तारीख 1-12-1995

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1997

GSR 155 (E):— In exercise of the powers conferred by section 58A read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 namely :—

(a) These Rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits Amendment) Rules, 1997.

(b) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.

(i) after sub-rule (1) of rule 3. the following shall be inserted, namely:—

"(1A) On and from 1st day of March, 1997 no company shall accept or renew any deposits in any form if it is in default in the repayment of any deposit or part thereof and any interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit.";

(ii) after sub-clause (iii) of clause (k) of sub-rule (2) of rule 4 the following shall be inserted, namely:—

"(iv) that the company is not in default in the repayment of any deposit or part thereof and any interest thereupon in accordance with terms and conditions of such deposits.".

[F. No. 1/2/97-CL.V]

R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Footnote :— The principal rules were published vide GSR 43 (E) dated 3-2-1975 and subsequently amended by:—

1. S.O. 524 (E) dated 18-9-1975
2. S.O. 684 (E) dated 29-11-1975
3. G.S.R. 427 (E) dated 29-6-1976
4. G.S.R. 820 (E) dated 24-9-1976
5. G.S.R. 965 (E) dated 29-12-1976
6. G.S.R. 385 (E) dated 17-6-1977
7. G.S.R. 386 (E) dated 17-6-1977
8. G.S.R. 424 (E) dated 27-6-1977
9. G.S.R. 793 (E) dated 20-12-1977
10. G.S.R. 200 (E) dated 30-3-1978
11. G.S.R. 252 (E) dated 27-4-1978
12. G.S.R. 341 (E) dated 29-6-1978
13. G.S.R. 378 (E) dated 17-7-1978
14. G.S.R. 586 (E) dated 21-12-1978
15. G.S.R. 109 (E) dated 21-3-1980
16. G.S.R. 185 (E) dated 1-4-1980
17. G.S.R. 380 (E) dated 24-6-1980
18. G.S.R. 435 (E) dated 18-7-1980
19. G.S.R. 546 (E) dated 24-9-1980
20. G.S.R. 187 (E) dated 20-3-1981
21. G.S.R. 44 (E) dated 12-1-1982
22. G.S.R. 286 (E) dated 19-3-1985
23. G.S.R. 372 (E) dated 19-4-1985
24. G.S.R. 482 (E) dated 5-6-1985
25. G.S.R. 7 (E) dated 2-1-1986
26. G.S.R. 358 (E) dated 1-4-1987
27. G.S.R. 620 (E) dated 1-7-1987
28. G.S.R. 850 (E) dated 12-10-1987
29. G.S.R. 551 (E) dated 7-6-1990
30. G.S.R. 39 (E) dated 10-1-1992
31. G.S.R. 814 (E) dated 19-10-1992
32. G.S.R. 744 (E) dated 10-12-1993
33. G.S.R. 767 (E) dated 1-12-1995